

24-5-18

पत्रावली) आण कॅम्प कोर्ट इन्डपुरा में पेश हुई। पत्रावली का आवलोकन किया गया। राजस्व रिकार्ड (गम बन्द) के अनुसार ग्राम इन्डपुरा के भूमि खन- 240, 257, 800 किला उ कुल रकबा 7.0800 है. स्थित है। उक्त वर्णित भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है तथा भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हो सखा है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के 12 उक्त वर्णित भूमि के रिकार्ड खातेदार है। द्वारा उक्त के प्रावधान अनुसार वादी/प्रतिवादीगण राजस्व रिकार्ड में दर्प हिस्सा एवं कब्जा के अनुसार विधिवत विभाजन करवाने के अधिकारी है।

आदेश

वादीगण आर्थिक स्वीकार किया जाता है तथा प्राथमिक (डिप्टी) इस माध्यम की दी जाती है कि ग्राम इन्डपुरा की स्तरह में स्थित भूमि खन- 240, 257, 800 किला उ कुल रकबा 7.0800 है. भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण 1 के 12 का राजस्व रिकार्ड में दर्प हिस्सा एवं कब्जा के अनुसार खाते का प्रावधान करते हुए विधिवत विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तदसीमादार उद्यपुरवादी उभयपक्षकारण की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करें तथा मय नब्बाला के दो प्रतिमा में न्यायालय हाजा में पेश करें। डिप्टी पंच जारी हो।

पत्रावली संशम भुक्त होकर नम्बर के काम हो तथा पारिण दफतर हो।

दिनांक 24-5-18 को कॅम्प कोर्ट इन्डपुरा में सुनाया गया।

उपस्थित अधिकारी